(e) Since various decisions relating to NBO and BMTPC have competent approval, there is no need for any enquiry.

Building material and technology Promotion Council

2679. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the status of Building Materials and Technology Promotion Council;

(b) the details of the funds provided by Government to it for 1991-92;

(c) whether the C&AG has been authorised to audit its accounts, if not, the reasons therefor;

(d) when the BMTPC was set up and the details of its functionaries; and

(e) whether it is a fact that most of its functionaries are the same who were previously in the NBO if so the reasons for winding up the NBO in favour of BMTPC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC) is a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 and functioning under the aegis of the Ministry of Urban Development.

(b) A provision of Rs. 3/- crores under Plan has been made in the Budget of the Ministry of Urban Development for the year 1991-92 towards grants to the Council.

(c) The Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 provides for audit of accounts of bodies of authorities substantially funded by Government through grants or loans. Since the BMTPC is fully funded by the Government, its accounts are open to audit by the Comptroller and Auditor General. No separate authorisation is required for this purpose.

(d) The BMTPC was registered in July, 1990 with Union Minister for Urban Development as the President of the Council. The functionaries include a full time Executive Director assisted by experts in different disciplines.

(e) No, Sir. Does not arise.

कोंडली स्ववित्त पोषित योजना का निष्पादन

2680. श्रीमती वीणा वर्मा :
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोंडली स्व वित्त पोषित परियोजना के निष्पादन में हो रहे विलंब के कारण दि० वि० प्रा० और योजना के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों को लाखों रुपये की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) सरकार परियोजना को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोंडली घरौली में स्ववित्त पोषित योजना के मकानों के निष्पादन में विलम्ब हुआ है । तथापि, स्व वित्त पोषित योजना के उपबंधों के अनुसार यदि आवेदनपत्र स्वीकार होने के 2 1/2 वर्ष की अवधि के अन्दर आवंटी को फ्लैट नहीं मिलता है तो मकानों का निर्माण पूरा न किया

जाने की स्थिति में तत्पश्चात् 2 1/2 वर्ष की सीमांतीत अवधि से अंतिम मांग पत्रों को जारी करने की तारीख तक प्रथम छः महीनों के लिए 7% की वार्षिक दर से तथा तत्पश्चात् 10% वार्षिक दर से जमा राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है ।

(ख) डिजाइन समस्याओं का समाधान करने में लगे समय के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ था । अब समस्याओं के समाधान हो गया है । तथा कार्य की गति को बढ़ाने तथा अधिकतम संभव सीमा तक विलम्ब को कसर निकालने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे है ।

(ग) परियोजना को दिसम्बर, 1993 तक पूरा किए जाने की आशा है ।

मकानों की बिक्री द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

2681. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अप्रवासी भारतीयों को मकान बेच कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके द्वारा कितनी राशि जुटाये जाने का लक्ष्य है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहन देने के बारे में 1991-92 के बजट में दी गई घोषणा के अनुसार सरकार आवास, स्थावर सम्पदा, आवास वित्त संस्थानों तथा भवन-निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण एककों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने की स्कीम को तैयार करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को विदेशी मुद्रा विनियोग अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन भारत में स्थित अचल सम्पत्तियों को अर्जित करने, अन्तरित करने अथवा बेचने की आम अनुमति भी प्रदान की है बशर्ते कि जहां क्रय द्वारा सम्पत्तियों का अर्जन किया जाता है वहां ये सम्पत्तियां वास्तविक रिहायशी प्रयोजन के लिए होंगी और इस प्रकार की सम्पत्तियों के लिए प्रतिदेय को सामान्य बैंकिंग चनल अथवा विदेशी मुद्रा विशेष जमा खाते के माध्यम से भारत को अदा की गई विदेशी मुद्रा से पूरा किया गया हो । यद्यपि उदारीकरण का आशय विदेशी मुद्रा को भारत में लाए जाने को आकर्षित करना है, तथापि विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है

Clearance of building plans by Municipal Corporation of Delhi

2682. SHRIMATI PRATIBHA SINGH:

SHRI ASHOK NATH VERMA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Municipal Corporation of Delhi is not clearing the building plans of 2nd floor of non-slum areas on the plea that original plan of such buildings constructed before partition are not available with the Municipal Corporation of Delhi whereas such buildings have been allotted by the Central Department of Rehabilitation to displaced persons in lieu of their partition property; if so, what are the details thereof;

(b) whether Government propose to instruct the Municipal Corporation of Delhi that approval of such building plans should not be kept pending